

कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव छ0ग0 शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

// प्रारंभिक अधिसूचना //

गरियाबंद, दिनांक 17/05/2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201712221800003/अ-82 ::

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनसूची के कालम (01) से (05) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम (07) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद द्वारा अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद द्वारा अनुसूची के कालम (06) में उल्लेखित प्राधिकारी को उपरोक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
01	02	03	04	05	06	07
गरियाबंद	मैनपुर	मुड़गेलमाल	35	0.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु
			40	0.01		
			38	0.56		
			42/2	0.20		
			47	0.12		
			574	0.30		
			631	0.56		
			44	0.14		
			528	0.03		
			529	0.13		
			530/1	0.08		
			531	0.10		
			527	0.06		
			546	0.04		
			549	0.19		
532	0.16					
553	0.02					
554	0.17					

गरियाबंद	मैनपुर	मुड़गेलमाल	552	0.15	कार्यपालन अभिर्यता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद	उला व्यपयसन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु
			551	0.18		
			550	0.15		
			575	0.14		
			582/1	0.15		
			582/3	0.14		
			582/2	0.12		
			582/4	0.18		
			646/4	0.03		
			646/2	0.17		
			646/1	0.16		
			647/1	0.17		
			647/3	0.34		
			632/2	0.17		
			648/1	0.12		
			732/3	0.25		
			718	0.01		
			727/1	0.22		
			731/2	0.18		
			731/1	0.02		
730	0.50					
727/2	0.08					
727/3	0.06					
727/4	0.18					
योग:- कुल खसरा नंबर 42 कुल रकबा 6.96 हेक्टेयर						

02/- यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल / उपयुक्तता / लोक प्रयोजन के औचित्य / सामाजिक समाघात निर्धारण के बारे में अपना बाबा-आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।


03/- भूमि का नक्शा/प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर जिला गरियाबंद (छोगा) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

04/- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।


05/- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

8

06/- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर जिला गरियाबंद (छ0ग0) को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।


27/03/2024

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(नितेशकुमार क्षीरसागर)
कलेक्टर गरियाबंद

एवं पदेन उप सचिव छ0ग0 शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग